राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.12(73)खान/ग्रुप–1/2016 जयपुर, दिनांक 24 SEP 2020

आदेश

विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना, 2020–21

1. योजना का नाम एवं आरंभ होने की तिथिः–
   1.1 इस योजना को विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना, 2020–21 कहा जावेगा।
   1.2 यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।
2. योजना की प्रभावी अवधिः–योजना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी।
3. योजना की प्रायोग्यता (Applicability)

(i) यह योजना स्थिरभाटक, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. ठेकों की बकाया, एस.टी.पी. एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया एवं अन्य विभागीय बकाया के प्रकरणों पर लागू होगी, परन्तु 31 प्रधान खनिज जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 से अप्रधान खनिज घोषित किया गया है, के प्रकरणों में दिनांक 10.02.2015 से पूर्व की बकाया पर यह योजना लागू नहीं होगी।

(ii) इस योजना में वे प्रकरण शामिल होंगेः–

अ. खनन पट्टों एवं ठेकों की बकाया एवं अन्य बकाया के मामले जिनमें मांग कायमी के आदेश दिनांक 31.03.2019 तक जारी हो चुके हों।

ब. एस.टी.पी. एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया के मामले जिनमें मांग कायमी के आदेश दिनांक 31.03.2019 तक जारी हो चुके हो।

(iii) इस योजना में ऐसे प्रकरणों के निस्तारण पर भी विचार किया जा सकता है जिनमें किसी न्यायालय अथवा अपील/रिवीजन में प्रकरण लम्बित हैं, बशर्ते कि बाकीदार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय से वाद विड्रॉ कर लिया गया हो तथा उसके द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जाएगी कि भविष्य में वह इस योजना के तहत निस्तारित किये गये प्रकरणों की बकाया के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में चुनौती देने से निरूद्ध रहेगा।

(iv) इस योजना का लाभ उन्हीं बाकीदारों को देय होगा जिनके द्वारा योजना के अन्तर्गत जमा करवाई जाने वाली राशि योजना के लागू होने की तिथि से योजना के प्रभावी तिथि तक जमा करवा दी जायेगी।

(v) यह योजना इस आदेश के जारी होने की तिथि के बाद शेष बकाया पर लागू होगी। आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व जमा करवाई जा चुकी राशि

तत्समय के दायित्वों के अधीन मानी जाएगी एवं उसका किसी प्रकार का समायोजन इस योजना में नहीं किया जाएगा।

(vi) योजना के तहत बकाया की गणना मे रॉयल्टी की वही दरें काम मे ली जायेगीं, जो प्रकरण के समय लागू थी।

(vii) अगर किसी बाकीदार द्वारा पूर्व मे ही समस्त बकाया स्थिरभाटक/अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क अथवा अन्य बकाया की मूल राशि पूर्व मे ही जमा करवा दी गई है तथा केवल ब्याज राशि ही शेष है, तो शेष ब्याज राशि इस योजना के तहत सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा माफ की जा सकेगी, भले ही आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया हो।

विभिन्न प्रकार की बकाया के प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुदेशः–

4. योजना की शर्तेंः– बाकीदार द्वारा निम्नानुसार मूल बकाया की राशि जमा करा देने पर शेष मूल बकाया तथा समस्त ब्याज माफ किया जाएगा।

(i) खनन पट्टा/ईंट भट्टा परमिट के बकाया के प्रकरणों में निम्नानुसार मूल बकाया जमा कराने पर शेष मूल राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफी योग्य होगीः–

वर्ष	मूल बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है
दिनांक 31.03.80 तक की बकाया	10%
दिनांक 01.04.80 से 31.03.1990 तक की बकाया	20%
दिनांक 01.04.1990 से 31.03.2000 तक की बकाया	30%
दिनांक 01.04.2000 से 31.03.2010 तक की बकाया	50%
दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2019 तक की बकाया	70%

परन्तु नियमों की पालना नहीं करने/माईनिंग प्लान/पर्यावरण स्वीकृति/कन्सेन्ट टू ऑपरेट से अधिक उत्पादन करने पर कायम की गई अवैध खनन शास्ति के विरूद्ध रॉयल्टी का दो गुणा राशि अतिरिक्त जमा करवाने पर शेष मूल राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ की जावेगी।

(ii) आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. ठेकों की बकाया के मामलों में ठेके जो खण्डित किये गये एवं ठेके जो पूर्ण ठेका अवधि तक प्रभावशील रहे, में निम्नानुसार मूल बकाया जमा कराने पर शेष मूल राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफी योग्य होगी :–

वर्ष	मूल बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है	
	ठेके जो खण्डित किये गये	ठेके जो पूर्ण ठेका अवधि तक प्रभावशील रहे
दिनांक 31.03.2011 तक की बकाया	50%	60%

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2019 तक की बकाया	70%	80%

(iii) एस.टी.पी. एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों के विरूद्ध दिनांक 31.03.2019 तक शास्ति स्वरूप कायम की गई मॉग के प्रकरणों में यदि देय रॉयल्टी के तीन गुणा राशि (अर्थात् दो गुणा अतिरिक्त) जमा करा दी जाती है तो शेष मूल राशि व समस्त ब्याज राशि माफ की जाएगी।

5. प्रकरणों का निस्तारण एवं शक्तियॉः–

प्रकरणों का निस्तारण सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा किया जाएगा जिसमें निर्धारित प्रारूप में विवरण, यथा जमा करवाई गई राशि एवं माफ की गई मूल एवं ब्याज राशि का विवरण, अंकित किया जाएगा। उक्त आदेश अधिकतम 15 दिवस की अवधि में पारित किये जायेंगे। सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा अपने वृत की प्रगति रिपोर्ट, यथा निस्तारित किये गये प्रकरणों की संख्या, जमा करवाई गई राशि एवं माफ की गई मूल एवं ब्याज राशि का विवरण, पाक्षिक रूप से सोमवार को वित्तीय सलाहकार को प्रेषित की जाएगी एवं योजना समाप्ति पर पूर्ण सूचना प्रेषित की जाएगी।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की सहमति आई.डी. संख्या 102003774 दिनांक 10.09.2020 से जारी किया जाता है।

आज्ञा से

(ओम कसेरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खान एवं गोपालन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.12(73)खान/ग्रुप–1/2016 जयपुर, दिनांक 24 DEC 2020

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2020 की निरन्तरता में विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना, 2020–21 योजना की अवधि को दिनांक 31.03.2021 तक बढाया जाता है।

योजना की समस्त शर्तें/प्रावधान पूर्व में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.09.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की सहमति आई.डी. संख्या 102005770 दिनांक 24.12.2020 से जारी किया जाता है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(ओम कसेरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय खान एवं गोपालन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with